संख्या-113/2018/2663 ई-2/तेरह-2018-41/2010

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 21 दिसम्बर,2018

विषयः-मेसर्स वेव डिस्टीलरी एण्ड ब्रिवरीज लि0, अलीगढ़ (यवासवनी) की क्षमता दस लाख हेक्टोलीटर से बढ़ाकर पन्द्रह लाख हेक्टोलीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-46/दो-प्रा0डी0-142, दिनांक 27 जुलाई, 2018 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29-11-2018 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त संख्या-3807 ई-2/ तेरह-2018-382/99, दिनांक 04 दिसम्बर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके उक्त पत्र दिनांक 27 जुलाई,2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में शासनादेश दिनांक 03-8-2010 द्वारा मेसर्स वेव डिस्टीलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि0, अलीगढ़(यवासवनी) को पूर्व में प्रदान की गई बीयर के उत्पादन की 10 लाख हेक्टोलीटर प्रतिवर्ष की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाकर 15 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति संगत शासनादेशों के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यवासवक द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये केन्द्र/राज्य के संगत प्राविधानों/नियमों/विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in